



के.मा.शि.बो./एन.ई.ई.टी/2018

दिनांक: 08/02/2018

सार्वजनिक सूचना

एन.ई.ई.टी.(यू.जी.)-2018 के आवेदकों के लिए आधार की आवश्यकता

एन.ई.ई.टी (यू.जी.)-2018 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रवेश सूचना के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

1. एन.ई.ई.टी (यू.जी.)-2018 के आवेदकों के लिए आधार का उपयोग करने से आवेदकों के विवरण में प्रामाणिकता आएगी। इसमें परीक्षा केन्द्रों में सुविधाजनक तथा बिना परेशानी के आवेदकों के पहचान को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। आधार होने पर किसी एक आवेदक की पहचान को प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आधार अधिनियम के प्रावधान तथा अधिनियम के अंतर्गत विनियम 14 सितम्बर 2016 से प्रभावी हैं और इस संबंध में अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गयी है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 57 इस संबंध में किसी कानून या किसी अनुबंध के अनुपालन के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. तदनुसार, सीबीएसई ने एन.ई.ई.टी (यू.जी.)-2018 के आवेदकों के लिए आधार का उपयोग करने का निर्णय लिया है और एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है:
 - 3.1. आधार धारक आवेदकों को एन.ई.ई.टी (यू.जी.)-2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि एवं लिंग का ब्यौरा डालना होगा, ताकि उनकी पहचान तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
 - 3.2. वैसे आवेदक, जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के पात्र आवेदकों को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाना होगा।
4. उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होंगे।
5. जिन आवेदकों ने कक्षा 12 की परीक्षा जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय राज्यों से उत्तीर्ण की है अथवा इन राज्यों में कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं को अपनी पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या या अन्य कोई वैध सरकारी पहचान संख्या डालनी होगी और उन्हें केवल इन्हीं राज्यों के परीक्षा केन्द्र शहरों का चयन करना होगा।

निदेशक (एन.ई.ई.टी.)